न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2023/138 दायरा दिनांक : 12.09.2023

उनवान

1– महावीर सिंह उम्र 39 वर्ष पुत्र स्व0 रूपसिंह, जाति राजपूत
2– सुमन उम्र 36 वर्ष पुत्री स्व0 रूपसिंह, जाति राजपूत
3– श्रीमति मुकेश कंवर उम्र 63 वर्ष पत्नि स्व0 रूपसिंह, जाति राजपूत
निवासी ग्राम भकरावदा, तहसील अटरू, जिला बारां
4– संदीप सिंह उम्र 30 वर्ष पुत्र स्व0 तेजसिंह, जाति राजपूत
5– प्रियंका सिंह आयु 36 वर्ष पुत्री स्व0 तेजसिंह, जाति राजपूत
6– टीना उम्र 34 वर्ष पुत्री स्व0 तेजसिंह, जाति राजपूत
7– प्रीतम रानी उम्र 32 वर्ष पुत्री स्व0 तेजसिंह, जाति राजपूत
8– श्रीमति मंजू कंवर उम्र 56 वर्ष पत्नि स्व0 तेजसिंह, जाति राजपूत
निवासीगण भकरावदा, तहसील अटरू, जिला बारां राज0 .... अपीलांट

बनाम

1– जगदीश प्रसाद पुत्र हीरालाल जी, जाति धाकड, निवासी कंवरपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां राज0
2– सुरेन्द्र नागर पुत्र जगदीश प्रसाद, जाति धाकड, निवासी कंवरपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां राज0
3– शंभू सिंह पुत्र भंवरसिंह, जाति राजपूत
4– रामसिंह पुत्र भंवरसिंह, जाति राजपूत
5– हिम्मत सिंह पुत्र श्री गंगा सिंह, जाति राजपूत
6– उम्मेद कंवर पुत्र श्री गंगा सिंह, जाति राजपूत
7– भंवर सिंह पुत्र श्री गंगा सिंह, जाति राजपूत
8– दलपत सिंह पुत्र चतरसिंह, जाति राजपूत
निवासीगण भकरावदा, तहसील अटरू, जिला बारां राज0
9– नन्दकंवर पुत्री चतर सिंह, जाति राजपूत मृतक जरिये कायम मुकामान –
9/1–नरपत सिंह पुत्र श्री भंवरसिंह, जाति राजपूत
9/2–ओम सिंह पुत्र श्री भंवरसिंह, जाति राजपूत
9/3–राजेश कंवर पुत्री श्री भंवरसिंह, जाति राजपूत
9/4–मीना पुत्री श्री भंवरसिंह, जाति राजपूत
निवासीगण छीपाबडोद, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां राज0
10– उच्छल कंवर बाई पुत्री श्री चतरसिंह, जाति राजपूत, निवासी श्रीराम कॉलोनी कवाई, तेजसिंह का मकान स्टेशन रोड़, जिला बारां
11– भूलकंवर बाई पुत्री चांद सिंह, जाति राजपूत, निवासी प्रेम नगर तृतीय, स्वामी विवेकानन्द स्कूल के पास कोटा राज0
12– गजेन्द्र सिंह पुत्र नारायण सिंह, जाति राजपूत, निवासी शीतला माता मंदिर के पास राजगढ़ मध्य प्रदेश
13– कैलाश बाई पुत्री नारायण सिंह, जाति राजपूत, निवासी शीतला माता मंदिर के पास राजगढ़ मध्य प्रदेश
14– शुभम सिंह पुत्र रामनाथ सिंह, जाति राजपूत, निवासी शीतला माता मंदिर के पास राजगढ़ मध्य प्रदेश

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

15– तरूणा बाई पुत्री रामनाथ सिंह, जाति राजपूत, निवासी शीतला माता मंदिर के पास राजगढ़ मध्य प्रदेश
16– अरूणा बाई पुत्री रामनाथ सिंह, जाति राजपूत, निवासी शीतला माता मंदिर के पास राजगढ़ मध्य प्रदेश
17– अमृता बाई बेवा रामनाथ सिंह, जाति राजपूत, निवासी शीतला माता मंदिर के पास राजगढ़ मध्य प्रदेश
18– मोहित सिंह पुत्र विजेन्द्र सिंह, जाति राजपूत, निवासी म0 नं0 ई 427 नगर विकास योजना कंसुवा, कोटा राज0
19– उत्कर्ष सिंह पुत्र विजेन्द्र सिंह, जाति राजपूत, निवासी म0 नं0 ई 427 नगर विकास योजना कंसुवा, कोटा राज0
20– विक्रम सिंह पुत्र श्री छीतर सिंह, जाति राजपूत
21– पदम सिंह पुत्र श्री छीतर सिंह, जाति राजपूत निवासीगण ग्राम भकरावदा, तहसील अटरू, जिला बारां
22– उम्मेद कंवर सिंह पुत्री छीतर सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम भकरावदा, तहसील अटरू, जिला बारां
23– अवतार सिंह पुत्र बहादुर सिंह, जाति राजपूत
24– बने सिंह पुत्र बहादुर सिंह, जाति राजपूत
25– ममता बाई पुत्री बहादुर सिंह, जाति राजपूत
26– शीला बाई पुत्री बहादुर सिंह, जाति राजपूत निवासीगण भकरावदा, तहसील अटरू, जिला बारां
27– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अटरू, जिला बारां राज0

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित — श्री रघुवीर सिंह राठौड अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री महेश शर्मा एवं मनीष शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1, 2 एवं
श्री भारत सिंह अडसेला व श्री रूपेश कुमार श्रृंगी अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 3, 4, 8, 20, 21, 23 व 24 की ओर से, शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 08.01.2025

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 60/2021 निर्णय व डिक्री दिनांक 20.04.2023 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम कवाई, तहसील अटरू, जिला बारां में मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2036 से 2039 के अनुसार खसरा नं. 635 रकबा 23 बीघा 8 बिस्वा भूमि चांद सिंह, छीतरसिंह, चतरसिंह, शम्भू सिंह, रामसिंह पुत्रान भंवर सिंह एवं मुस0 सरदारी बाई बेवा भंवरसिंह के दर्ज खाता चली आ रही थी जिसके बाद सैटलमेंट

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

नये खसरा नं. 554 रकबा 1.76 हेक्टर भूमि बनाये हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 20.04.2023 से वादी का वाद स्वीकार कर ग्राम कवाई की विवादित आराजी खसरा नं. 554 रकबा 0.88 हेक्टर पर वादीगण जगदीश प्रसाद पुत्र हीरालाल, सुरेन्द्र नागर पुत्र जगदीश प्रसाद, जाति धाकड, निवासी कंवरपुरा को खातेदार कृषक घोषित किया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि आदेश जैर अपील कानून, न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय प्रदान कर दिया, जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत खातेदारी अधिकार डिक्री किये जाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय में वादी द्वारा वाद में वर्णित आराजी पर अपना एडवर्स पजेशन बताकर वाद पेश किया गया जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों के विपरीत डिक्री करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट कम 1 लगायत 3 के पिता एवं पति प्रतिवादी कम 6 रूप सिंह तथा अपीलांट कम 4 लगायत 8 के पिता एवं प्रतिवादी नं. 10 तेज सिंह एवं अन्य सहखातेदारान के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं. 554 रकबा 0.88 हेक्टर में अपीलांट के पिता व पति का 1/25, 1/25 अविभाजित हिस्सा निहित है **जिसका अपीलांट के पिता व पति उपयोग एवं उपभोग करते रहे, उनकी मृत्यु पश्चात्** उक्त हिस्से की आराजी का उपयोग व उपभोग अपीलांट करते चले आ रहे हैं। वादी रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त तथ्यों को छिपाकर उक्त वाद एकपक्षीय मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध डिक्री करवा लिया है जो कि हर प्रकार से काबिले निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना एवं सूचना दिये बिना ही निर्णय एवं डिक्री जैर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। वर्णित आराजी पर वादी रेस्पोडेंट का किसी प्रकार से एडवर्स पजेशन साबित नहीं है, ना ही इस संबंध में दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय में पेश हुए है सिर्फ जबानी कथन को मानते हुए दावा वादी रेस्पोडेंट डिक्री करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। किसी भी व्यक्ति को अपना लगातार राजस्व रेकार्ड के दस्तावेजों के अनुसार कब्जा साबित करना होता है लेकिन उक्त पत्रावली में ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, इसके उपरान्त भी निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। प्रतिवादी नं. 9 मृतक नन्दकंवर के कायम मुकामान उक्त अपील में बतौर रेस्पोडेंट पक्षकार बनाये हुए हैं तथा प्रतिवादी नं. 20 मृतक बन कंवर बाई लाऔलाद फौत हो गई एवं प्रतिवादी नं. 24 जयकंवर सिंह के वारिसान पूर्व से ही वाद में बतौर प्रतिवादी पक्षकार है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय एवं डिक्री जैर अपील निरस्त किया जाकर वावा वादी खारिज किया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 09.07.2023 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि हमने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.04.2023 के विरूद्ध यह अपील पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सूचना नहीं दी और न ही सुनवाई का अवसर दिया, प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है। प्रतिवादी नं. 6 व 10 के खाते आराजी है उसमें अपीलांट के पिता व पति का हिस्सा है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 12.03.2021 के अनुसार अपीलांट के पिता की मृत्यु दिनांक 02.02.21 को हो गई है। प्रतिवादी नं. 10 की मृत्यु भी दिनांक 04.09.2020 को हो गई है, मृतक व्यक्ति को पक्षकार बनाकर निर्णय पारित किया है। प्रतिवादी नं. 8, 20, 24 इनकी भी मृत्यु हो गई है इसके कायम मुकामान नहीं बनाये गये। मृत व्यक्ति के विरूद्ध दावा व उनकी फर्जी तामील मानकर निर्णय पारित किया है। प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। कब्जे के सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय में या अपील के साथ प्रस्तुत नहीं की। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.टी. 2017(2) पेज 1047 (एस.सी.), ए.आई.आर. 2005 पेज 3799 (एस.सी.), आर.आर.टी. 2016(2) पेज 1200, आर.आर.टी. 2011(2) पेज 721 (फुल बैंच), आर.आर.टी. 2023(2) पेज 1425 (एच.सी.), आर.आर.टी. 2018(1) पेज 619 (एच.सी.), आर. एल.डब्ल्यू. 2003(4) पेज 509 (एस.सी.), आर.आर.डी. 1992 पेज 17, आर.आर.टी. 2011(1) पेज 602, आर.आर.टी. 2018(1) पेज 601 (एस.सी.) की नजीरे उद्धरत की जो शामिल पत्रावली की गई।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि रेवेन्यु रेकार्ड के आधार पर पक्षकार बनाया है। अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 08.07.2021 को एक्सपार्टी की गई है। प्रतिवादी नं. 1, 2, 22, 21, 25, 26, 27, 28 की ओर से आर्डर 9 नियम 11 का प्रार्थना पत्र दिनांक 05.11.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में पेश हुआ है। प्रतिवादी नं. 5, 7, 9, 11 की ओर से दिनांक 06.10.2021 को आर्डर 9 नियम 11 का प्रार्थना पत्र एक्सपार्टी निरस्त किया गया है। जवाबदावे के लिए पर्याप्त समय दिया गया है। दिनांक 30.01.2023 को पुनः एक्सपार्टी हुई। अपीलांट ने लिमिटेशन पर कोई उचित कारण नहीं बताये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण परीक्षण कर निर्णय पारित किया जो सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें। अपने पक्ष के समर्थन में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने 2019 (एस.सी.) पेज 729 की नजीर उद्धरत की।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व सपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रकियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील का गहनता से अवलोकन किया। साथ ही प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया। वादी रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद प्रस्तुत कर कथन किया है कि मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2036–2039 के अनुसार खसरा नं. 635 रकबा 23 बीघा 8 बिस्वा भूमि चांदसिंह, छीतरसिंह, शम्भूसिंह, रामसिंह पुत्रान भंवरसिंह एवं मुस. सरदारीबाई बेवा भंवरसिंह के दर्ज खाता चली आ रही थी जिसके बाद सैटलमेंट नये खसरा नं. 554 रकबा 1.76 हेक्टर बनाये हैं। वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित भूमि में से 0.88 हेक्टर भूमि पर वादी कम 1 के पिता हीरालाल पुत्र नाथूलाल का सम्वत 2013 से कब्जा काश्त चला आ रहा था। उनके स्वर्गवास के पश्चात से वादी कम 1 का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। सम्वत 2013 से आज तक विवादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण का कभी कब्जा नहीं रहा। धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार प्रतिवादीगण के हक हकूक समाप्त हो चुके हैं। प्रतिवादीगण ने सम्वत 2013 से आज तक वादीगण के पूर्वजों के समय से वादीगण के कब्जे को कभी भी चुनौती नहीं दी है। इसलिए बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ कब्जा मुखालफाना के आधार पर वादीगण खातेदार कृषक घोषित होकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने के अधिकारी हैं। अतः विवादित आराजी खसरा नं. 554 रकबा 0.88 हैक्टर भूमि का वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर इस आशय का राजस्व रेकॉर्ड में अंकन किया जावे। साथ ही प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत न करें।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 20.04.2023 से प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादी का वाद स्वीकार कर ग्राम कवाई की विवादित आराजी खसरा नं. 554 रकबा 0.88 हेक्टर पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित कर तहसीलदार अटरू को निर्णय की पालना में राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु आदेशित किया।

अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर प्रतिवादीगण 6 व 10 के वारिसान द्वारा अपील प्रस्तुत कर कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय प्रदान किया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय में वादी द्वारा वाद में वर्णित आराजी पर अपना एडवर्स पजेशन बताकर वाद पेश किया जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों के विपरीत डिक्री करने में त्रुटि की है। वादी रेस्पोडेंट कम 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद दिनांक 12.03.2021 को प्रस्तुत किया है जबकि अपीलांट कम 1 लगायत 3 के पिता एवं पति

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्रतिवादी कम 6 रूप सिंह जी की मृत्यु दिनांक 02.02.2021 को एवं अपीलांट कम 4 लगायत 8 के पिता एवं पति प्रतिवादी कम 10 तेजसिंह जी की मृत्यु दिनांक 04.09.2020 को हो चुकी थी तथा उक्त वाद में प्रतिवादी नं. 8 नंद कंवर, प्रतिवादी नं. 20 बनकंवर एवं प्रतिवादी नं. 24 जयकंवर सिंह की भी मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकार वादी रेस्पोडेंट कम 1 व 2 द्वारा उक्त वाद मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध पेश किया है तथा मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध तामील होना मानकर निर्णय एवं डिक्री प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। वादी रेस्पोडेंट का किसी प्रकार से एडवर्स पजेशन साबित नहीं है, ना ही इस संबंध में दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय में पेश हुए हैं, सिर्फ जबानी कथन को मानते हुए दावा वादी रेस्पोडेंट डिक्री करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। विवादित आराजी पर वादी द्वारा अपना लगातार कब्जा साबित करने वाला राजस्व रेकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय एवं डिक्री जैर अपील निरस्त किया जाकर दावा वादी खारिज किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय **द्वारा प्रतिवादीगण पर सम्मन की तामील में आर्डर 5 सी.पी.सी. के प्रावधानों की पालना नहीं की गई। अपीलांट के पिता व पति प्रतिवादी नं. 6 व 10 रूप सिंह व तेजसिंह के सम्मन की तामील कमशः भाई पदमसिंह व राजेन्द्र सिंह पर करवायी गई है जबकि दौराने बहस अपीलांट के अधिवक्ता ने अवगत कराया कि प्रतिवादी नं. 6 व 10 का इस नाम का कोई भाई नहीं है। इस कथन की पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अंकित प्रतिवादीगण के सजरे से होना पाया गया। प्रतिवादी नं. 6 व 10 के पिता चतरसिंह के सजरे के अनुसार प्रतिवादी नं. 6 व 10 के भाई का नाम दलपत है। इसी प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रतिवादीगण नं. 6 व 10 के मृत्यु प्रमाण पत्रों से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय मृतक व्यक्तियों की तामील मानकर मृतक व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित किया है।** वादी रेस्पोडेंट कम 1 व 2 **ने विवादित आराजी पर अपने प्रतिकूल कब्जे को साबित करने हेतु मात्र खसरा गिरदावरी (चतुवर्षीय) ग्राम कवाई, तहसील अन्ता, जिला कोटा सम्वत 2013 प्रस्तुत की है परन्तु इससे विवादित आराजी पर सम्वत 2013 से लगातार वादीगण का कब्जा साबित नहीं होता। इसके अतिरिक्त** अन्य कोई खसरा गिरदावरी वादी रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है, जबकि कब्जे को साबित करने का प्रमाणित राजस्व दस्तावेज खसरा गिरदावरी है, अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी के मौका व कब्जा काश्त के सन्दर्भ में तहसीलदार अटरू को मौका मजिस्ट्रेट नियुक्त कर मौका एवं कब्जा काश्त की जो रिपोर्ट प्राप्त की उसके अनुसार पिछले 15–20 वर्षों (अनुमानित) से कब्जा होना अंकित किया है जबकि वादी रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 अपने वादपत्र में विवादित आराजी पर सम्वत 2013 से लगातार अपना कब्जा होना अंकित किया है। यह दोनों ही तथ्य परस्पर विरोधाभासी होने से विवादित आराजी पर वादी रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 का लगातार कब्जा होना स्वीकार योग्य नहीं है। इसी प्रकार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान करने का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में कोई प्रावधान नहीं है। इस संदर्भ में अपीलांट द्वारा माननीय राजस्व

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

मण्डल की फुल बैंच द्वारा निर्णित न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2011 (2) पेज नं. 721 जगदीश बनाम सीताराम प्रस्तुत किया है, जो संदर्भित प्रकरण पर चस्पा होता है। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने इस निर्णय में यह प्रतिपादित किया है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने का प्रावधान नहीं है। माननीय राजस्व मण्डल की फुल बैंच ने अपने इस निर्णय में बेंच के समक्ष विचाराधीन प्रश्नों का उत्तर देते हुए निर्णय के पैरा नं. 77 में यह अंकित किया है कि "In view of what has been discussed above and the legal precedents, this Bench answers the question raised by the referring D.B. in the following manner :-

(1) Whether the Larger Bench in its judgment 'Bagga vs. Surendra Singh' as reported in 1991 RRD page 1 has laid down a good law by providing for conferment/acquisition of khatedari right on a trespasser on the basis of 'adverse possession' vis-a-vis the provision of the Rajasthan Tenancy Act of 1955 as a measure of land reform?

Answer :- In the view of this bench the Larger Bench in its judgment 'Bagga vs. Surendra Singh' as reported in 1991 RRD page 1 has not laid down a good law because the Rajasthan Tenancy Act does not have any provision to confer tenancy rights to the adverse possessor. This bench also infers that providing tenancy rights to the adverse possessor is a retreating step with regard to land reforms and such a conferment of tenancy rights is against the basic spirit of this special legislation.

(2) Whether extinguishment of tenancy right under Section 63(1)(iv) of the Act of 1955 creates khatedari right in trespasser on the basis of adverse possession?

Answer: In the opinion of this bench extinguishment of tenancy rights create no khatedari rights in the trespasser on the basis of adverse possession.

(3) Whether the Board of Revenue has legislative power to lay down a new law for grant of khatedari right in addition to an over and above what is provided under the Act, as has been done by the Larger Bench of this Court in 1991 RRD page 1?

Anser: In the opinion this bench the Board of Revenue does not have legislative power to lay down a new law for grant of khatedari rights.

(4) Whether the judgment of the Larger Bench as reported in 1991 RRD page 1 should be revoked/annulled in light of the provision of the Act of 1955 and the judgment of the Hon'ble Supreme Court of India as reported in RLW 2008(1) RJ page 1101.

Answer: In the opinion of this bench the judgment of larger bench in Bagga vs. Surendra Singh as reported in 1991 RRD page 1 being not a good law, deserves to be set aside.

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

माननीय राजस्व मण्डल की फुल बेंच द्वारा निर्णित उक्त निर्णय के मार्गदर्शन में हम विचाराधीन अपील के प्रकरण में इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादी रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 को विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रदान करना विधिक प्रावधानों का उल्लंघन है। अतः हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री खारिज करना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.04.2023 खारिज किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते हैं कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.04.2023 की पालना राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जा चुका है तो उसे निरस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रकरण संख्या 60/2021 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.04.2023 से पूर्व की स्थिति बहाल करते हुए राजस्व रेकॉर्ड जमाबंदी में अमल दरामद किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

08/01/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1– महावीर सिंह उम्र 39 वर्ष पुत्र स्व0 रूपसिंह, जाति राजपूत
2– सुमन उम्र 36 वर्ष पुत्री स्व0 रूपसिंह, जाति राजपूत
3– श्रीमति मुकेश कंवर उम्र 63 वर्ष पत्नि स्व0 रूपसिंह, जाति राजपूत
निवासी ग्राम भकरावदा, तहसील अटरू, जिला बारां
4– संदीप सिंह उम्र 30 वर्ष पुत्र स्व0 तेजसिंह, जाति राजपूत
5– प्रियंका सिंह आयु 36 वर्ष पुत्री स्व0 तेजसिंह, जाति राजपूत
6– टीना उम्र 34 वर्ष पुत्री स्व0 तेजसिंह, जाति राजपूत
7– प्रीतम रानी उम्र 32 वर्ष पुत्री स्व0 तेजसिंह, जाति राजपूत
8– श्रीमति मंजू कंवर उम्र 56 वर्ष पत्नि स्व0 तेजसिंह, जाति राजपूत
निवासीगण भकरावदा, तहसील अटरू, जिला बारां राज0

....

अपीलांट

बनाम

1– जगदीश प्रसाद पुत्र हीरालाल जी, जाति धाकड, निवासी कंवरपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां राज0
2– सुरेन्द्र नागर पुत्र जगदीश प्रसाद, जाति धाकड, निवासी कंवरपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां राज0
3– शंभू सिंह पुत्र भंवरसिंह, जाति राजपूत
4– रामसिंह पुत्र भंवरसिंह, जाति राजपूत
5– हिम्मत सिंह पुत्र श्री गंगा सिंह, जाति राजपूत
6– उम्मेद कंवर पुत्र श्री गंगा सिंह, जाति राजपूत
7– भंवर सिंह पुत्र श्री गंगा सिंह, जाति राजपूत
8– दलपत सिंह पुत्र चतरसिंह, जाति राजपूत
निवासीगण भकरावदा, तहसील अटरू, जिला बारां राज0
9– नन्दकंवर पुत्री चतर सिंह, जाति राजपूत मृतक जरिये कायम मुकामान –
9/1–नरपत सिंह पुत्र श्री भंवरसिंह, जाति राजपूत
9/2–ओम सिंह पुत्र श्री भंवरसिंह, जाति राजपूत
9/3–राजेश कंवर पुत्री श्री भंवरसिंह, जाति राजपूत
9/4–मीना पुत्री श्री भंवरसिंह, जाति राजपूत
निवासीगण छीपाबडोद, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां राज0
10– उच्छल कंवर बाई पुत्री श्री चतरसिंह, जाति राजपूत, निवासी श्रीराम कॉलोनी कवाई, तेजसिंह का मकान स्टेशन रोड़, जिला बारां
11– भूलकंवर बाई पुत्री चांद सिंह, जाति राजपूत, निवासी प्रेम नगर तृतीय, स्वामी विवेकानन्द स्कूल के पास कोटा राज0
12– गजेन्द्र सिंह पुत्र नारायण सिंह, जाति राजपूत, निवासी शीतला माता मंदिर के पास राजगढ़ मध्य प्रदेश
13– कैलाश बाई पुत्री नारायण सिंह, जाति राजपूत, निवासी शीतला माता मंदिर के पास राजगढ़ मध्य प्रदेश
14– शुभम सिंह पुत्र रामनाथ सिंह, जाति राजपूत, निवासी शीतला माता मंदिर के पास राजगढ़ मध्य प्रदेश
15– तरूणा बाई पुत्री रामनाथ सिंह, जाति राजपूत, निवासी शीतला माता मंदिर के पास राजगढ़ मध्य प्रदेश
16– अरूणा बाई पुत्री रामनाथ सिंह, जाति राजपूत, निवासी शीतला माता मंदिर के पास राजगढ़ मध्य प्रदेश
17– अमृता बाई बेवा रामनाथ सिंह, जाति राजपूत, निवासी शीतला माता मंदिर के पास राजगढ़ मध्य प्रदेश
18– मोहित सिंह पुत्र विजेन्द्र सिंह, जाति राजपूत, निवासी म0 नं0 ई 427 नगर विकास योजना कंसुवा, कोटा राज0
19– उत्कर्ष सिंह पुत्र विजेन्द्र सिंह, जाति राजपूत, निवासी म0 नं0 ई 427 नगर विकास योजना कंसुवा, कोटा राज0
20– विकम सिंह पुत्र श्री छीतर सिंह, जाति राजपूत
21– पदम सिंह पुत्र श्री छीतर सिंह, जाति राजपूत
निवासीगण ग्राम भकरावदा, तहसील अटरू, जिला बारां
22– उम्मेद कंवर सिंह पुत्री छीतर सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम भकरावदा, तहसील अटरू, जिला बारां
23– अवतार सिंह पुत्र बहादुर सिंह, जाति राजपूत
24– बने सिंह पुत्र बहादुर सिंह, जाति राजपूत
25– ममता बाई पुत्री बहादुर सिंह, जाति राजपूत
26– शीला बाई पुत्री बहादुर सिंह, जाति राजपूत
निवासीगण भकरावदा, तहसील अटरू, जिला बारां
27– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अटरू, जिला बारां राज0

.... रेस्पोडेंट

अपील नं 2023/138 एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी,अटरू**
मु.द.नं0 60/2021 निर्णय व डिक्री दिनांक – **20.04.2023**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **10** माह **12** सन् **2024**

श्री **रघुवीर सिंह राठौड** अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री **महेश शर्मा एवं मनीष शर्मा** अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1, 2 एवं
श्री **भारत सिंह अडसेला** व श्री **रूपेश कुमार श्रृंगी** अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 3,4, 8, 20, 21, 23 व 24 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.04.2023 खारिज किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते हैं कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 20.04.2023 की पालना राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जा चुका है तो उसे निरस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रकरण संख्या 60/2021 में पारित निर्णय व डिकी दिनांक 20.04.2023 से पूर्व की स्थिति बहाल करते हुए राजस्व रेकॉर्ड जमाबंदी में अमल दरामद किया जाये।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **08** माह **01** सन् **2025** को जारी किया गया ।

मोहर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)